2026:AHC:174661

A.F.R.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL REVISION No. - 3561 of 2026

Rajesh Chaturvedi

…..Revisionist(s)

Versus

State of U.P. and another

…..Opposite Party(s)

Counsel for Revisionist(s) : Vatsala
Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Arun Kumar Singh

Court No. - 86

HON'BLE PRAVEEN KUMAR GIRI, J.

1. This Court, on 07.07.2026, passed the following order :-

"1. Heard Ms. Vatsala, learned counsel for the revisionist and Sri Pankaj Kumar, learned A.G.A. for the State.

2. Learned counsel for the revisionist submits that the instant criminal revision has been preferred with the relief which has been mentioned in the prayer clause. The relief mentioned in the prayer clause of the revision is delineated below:-

> *"It is, therefore, Most Respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to allow the present revision and partially set aside the order dated 10.03.2026 passed by the learned Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi in Case No. 621 of 2021 (Smt. Swati Agaria & another vs. Rajesh Chaturvedi), under Section 125 Cr.P.C, Police Station Kotwali, District-Jhansi to the extent of maintenance of Rs. 10,000/- granted to the opposite party no.2 (wife) and/or to pass such other and further order which this Hon'ble court may deem fit and proper in circumstance of the case"*

3. Learned counsel for the revisionists submits that divorce judgment and decree was granted on 30.07.2025 by the Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi dissolving the subsisting marriage of the revisionist and O.P. No.2. She further submits that against dissolution of marriage, the revisionist (husband) has filed First Appeal No.736 of 2025 before this Court

wherein in paragraph 4 of the short counter affidavit filed on behalf of the wife (O.P. No.2) it has been deposed that O.P. No.2 after lapse of 30 days of the divorce judgment and decree dated 30.07.2025, she has remarried on 03.09.2025, and the same has been transcribed in the order dated 19.09.2025. The relevant portion of paragraph 4 of the short counter affidavit is being delineated below :-

> *"4. That it is further submitted that after passing of impugned order dated 30.07.2025 the respondent wife has remarriage on 03.09.2025 after 30 days of passing of impugned order in this connection copy of the affidavit of wife/respondent dated 18.09.2025 is being file herewith and marked as Annexure-C.A.-1 to this affidavit."*

4. The order dated 19.09.2025 is being delineated below :-

> *"1. Ms. Suchita Mehrotra, learned advocate appears on behalf of appellant, who was husband in the marriage dissolved on judgement dated 30th July, 2025 of the Family Court. She submits, her client is aggrieved. The appeal was preferred in time. On caveat lodged, service has been made.*
> *2. Mr. Arun Kumar Singh, learned advocate appears on behalf of respondent. He confirms service. The caveat is discharged. Formal notice of appeal is dispensed with.*
> *3. Appellant will provide English translation of impugned judgement, on adjourned date. The lower Court record be called for.*
> *4. Ms. Suchita Mehrotra prays for interim stay or impugned judgement. The statutory bar operates. On query Mr. Arun Kr. Singh submits, his client has remarried. 5. List on 14th October, 2025."*

5. Learned counsel for the revisionist further submits that a notary affidavit has been annexed as Annexure 1 to the short counter affidavit and in paragraph 3 of the notary affidavit, O.P. No.2 has stated that she has performed second marriage. Paragraph 3 of the said affidavit is also being pasted below :-

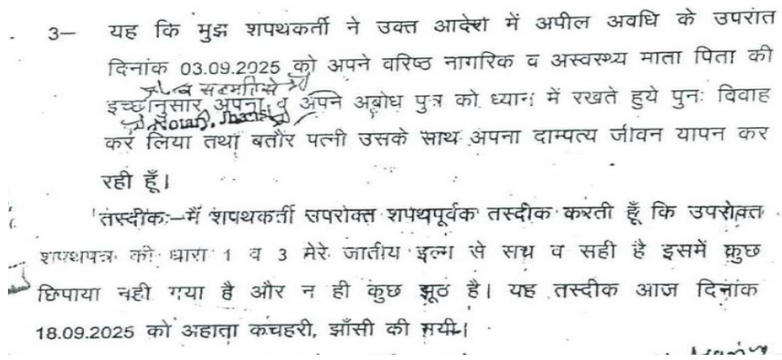

3— यह कि मुझ शपथकर्ती ने उक्त आदेश में अपील अवधि के उपरांत दिनांक 03.09.2025 को अपने वरिष्ठ नागरिक व अस्वस्थ्य माता पिता की इच्छानुसार अपना व अपने अबोध पुत्र को ध्यान में रखते हुये पुनः विवाह कर लिया तथा बतौर पत्नी उसके साथ अपना दाम्पत्य जीवन यापन कर रही हूँ।

तस्दीक:—मैं शपथकर्ती उपरोक्त शपथपूर्वक तस्दीक करती हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की धारा 1 व 3 मेरे जातीय इल्म से सच व सही है इसमें कुछ छिपाया नही गया है और न ही कुछ झूठ है। यह तस्दीक आज दिनांक 18.09.2025 को अहाता कचहरी, झाँसी की गयी।

6. Learned counsel for the revisionist submits that in the proceeding of Section 125 Cr.P.C., the revisionist has filed an objection dated 30.10.2025 disclosing the fact in paragraph no.1 that after divorce order, O.P. No.2 has performed second marriage. The relevant portion of the objection filed in proceeding under Section 125 Cr.P.C. is being pasted below :-

न्यायालय श्रीमान अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झांसी

मु०सं० - 621/ 2021

श्रीमती स्वाती अगरिया बनाम राजेश चतुर्वेदी
एवं एक अन्य

अ० धारा - 125 सी.आर.पी.सी.

थाना - कोतवाली, झाँसी

विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र अं. धारा 125(1) सी.आर.पी.सी. निम्न है।

श्रीमान जी,

सविनम्र निवेदन है कि -

१. यह कि सी.आर.पी.सी. की धारा 125(1) के **स्पष्टीकरण "ख"** के अनुसार - *"पत्नी" के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है*।

२. प्रार्थी संख्या १ ने दिनांक 03.09.2025 को पुनर्विवाह कर लिया है। प्रार्थी संख्या १ पुनर्विवाह करने से परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण विपक्षी से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अब विपक्षी प्रार्थी सं. १ को भरण पोषण भत्ता देने के लिए आबद्ध नहीं है क्योंकि प्रार्थी सं. १ स्वाती अगरिया ने दिनांक 03.09.2025 पुनर्विवाह कर लिया है, विवाह करने के बाद कोई पत्नी केवल तब तक भरण-पोषण भता प्राप्त करने का दावा कर सकती है जब तक उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो।

३. यह कि मु०सं० - 583/2021 अं. धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम में इस माननीय न्यायालय द्वारा वादी स्वाती अगरिया एवं प्रतिवादी राजेश चतुर्वेदी का विवाह दिनांकित 18.02.2018 आदेश दिनांकित 30.07.2025 द्वारा विघटित किया गया था।

४. यह कि विपक्षी ने इस माननीय न्यायालय के मुकदमा उपर्युक्त **583/2021 अं. धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम** में **आदेश दिनांकित 30.07.2025 के विरुद्ध** माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील स. FAPL/736/2025 दायर की जिसकी प्रथम सुनवाई 19.09.2025 को हुई थी।

५. यह कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उपर्युक्त सुनवाई दिनांकित 19.09.2025 में अपील स. FAPL/736/2025 की प्रतिउत्तरदाता स्वाती अगरिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय

7. Learned counsel for the revisionist submits that this fact was informed to the trial court of Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi even then the Court has ignore the said objection and directed the revisionist to pay maintenance amount to the wife/O.P. No.2 vide order dated 10.03.2026. The operative portion of the order dated 10.03.2026 is being pasted below:-

आदेश

याचिनी द्वारा प्रस्तुत याचिका 621/ 2021 श्रीमती स्वाती अगरिया आदि बनाम राजेश चतुर्वेदी अं० धारा 125 दं०प्र०सं० आंशिक रूप से इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी राजेश चतुर्वेदी याचिनी श्रीमती स्वाती अगरिया को वाद पत्र प्रस्तुत करने की दिनाक 29. 07. 2021 से 10,000/ - (दस हजार रुपये) प्रतिमाह व याची सं० 2 पुत्र मेदान्श को 5,000/ - (पांच हजार रुपये) प्रतिमाह कुल 15,000/ - (पंद्रह हजार रुपये) प्रतिमाह की धनराशि नियमित रुप से अदा करे। विपक्षी द्वारा अंतरिम भरण पोषण धनराशि आदेश दिनांकित 08. 12. 2023 के अनुपालन में याचीगण को अदा की जा रही भरण पोषण धनराशि इस आदेशित भरण पोषण धनराशि में समयोजित की जाएगी।

दिनांकः- 10. 03. 2026

10.3.2026

(हरिश्चन्द्र)

J.O. No. UP 1757

अपर प्रधान न्यायाधीश,

पारिवारिक न्यायालय,

झांसी।

8. Learned counsel for the revisionist further submits that after remarriage, O.P. No.2 is not entitled for any maintenance and so far as maintenance to minor son is concerned, for him the revisionist has no objection and he is ready to pay Rs.5000/- per month to the minor son in compliance of order dated 10.03.2026.

9. Issue notice to O.P. No.2 for filing counter affidavit within two weeks from today.

10. Sri Harish Chandra, Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi, J.O. No.UP 1757 is directed to submit his explanation as to why despite disclosing the fact of second marriage of the applicant (wife)/O.P. No.2 herein in the objection dated 30.10.2025 even then he has passed the order directing the revisionist to pay Rs.10,000/- to the wife.

11. Put up this case as fresh on 21.07.2026.

12. Learned A.G.A. is directed to communicate this order to O.P. No.2 through the concerned police station.

13. The Registrar (Compliance) is directed to communicate this order to the Chief Judicial Magistrate, Jhansi for communication to O.P. No.2 immediately, so that she may appear before this Court either personally or through counsel on the next date. He is also directed to communicate this order to the concerned Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi for submitting his explanation, as mentioned above, on or before the next date."

2. In compliance with the aforesaid order, the learned Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi submitted his response dated 15.07.2026 stating therein that the opposite party No.2(wife) had not mentioned about her remarriage and that no evidence has been furnished by the revisionist (husband) about the remarriage of the opposite party No.2. The relevant portion of the response of learned Additional Principal Judge is as under:-

"1- वाद सं० *621/2021* श्रीमती स्वाती अगारिया आदि बनाम राजेश चतुर्वेदी अं० धारा *125* जा०फौ० का वाद वादिया श्रीमती स्वाती अगारिया की ओर से विपक्षी राजेश चतुर्वेदी के विरूद्ध स्वयं व अपने पुत्र मेदान्श के लिए भरण पोषण धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु संस्थित किया है। जिसमें वादिया द्वारा मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि विपक्षी द्वारा अतिरिक्त दहेज में गुडगांव में एक फ्लेट दिलाये जाने की मांग की जाती थी, मांग को लेकर उससे लडाई झगडा कर उसे प्रताडित किया जाता तथा उसके साथ मारपीट की जाती। वादिया ने कथन किया है कि दिनांक *30.06.2021* को विपक्षी द्वारा लडाई झगडा कर उसकी बुरी तरह से मारपीट की व दिनांक *05.07.2021* को रात्रि में विपक्षी द्वारा उसके पुत्र को जान से मारने की योजना बनाई गई। जिस कारण अगली सुबह वह मौका देखकर अवयस्क बच्चे के साथ अपना समस्त स्त्रीधन वहीं छोडकर उसी अवस्था में भाग निकली। जिसके खण्डन में विपक्षी राजेश चतुर्वेदी द्वारा दिनांक *29.03.2022* को अपना जवाबदावा का०सं०*9*ए प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके द्वारा वादिया श्रीमती स्वाती को अपनी पत्नी एवं पुत्र मेदान्त को अपनी संतान स्वीकार किया है **किन्तु वादिया श्रीमती स्वाती द्वारा पूनर्विवाह किये जाने के संबंध में कुछ भी उल्लेखित नहीं किया है।** वादिया द्वारा उक्त वाद में अपना साक्ष्य शपथपत्र दिनांक *19.01. 2023* को प्रस्तुत किया है जिसके पश्चात न्यायालय द्वारा वादिया का बयान / जिरह दिनांक *03.06. 2024* से आरम्भ कर दिनांक *14. 08. 2025* को जिरह पूर्ण किया गया किन्तु दौरान जिरह भी विपक्षी व उसके अधिवक्ता द्वारा वादिया से पुनर्विवाह किये जाने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछे गये।

7- दिनांक *10. 11. 2025* से *10.03.2026* तक विपक्षी लगातार अनुपस्थित होता रहा। विपक्षी को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता रहा लेकिन विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपना सशपथ बयान दाखिल किया और न ही वादिया स्वाती अगारिया द्वारा पुनर्विवाह के

संबंध में कोई साक्ष्य दाखिल किया गया और न ही अन्य किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। विपक्षी को लिखित बहस एवं मौखिक बहस करने हेतु भी पर्याप्त अवसर दिया गया है लेकिन न तो लिखित बहस दाखिल किया गया और न ही विपक्षी की ओर से मौखिक बहस किया गया। आदेश दिनांकित *30.10.2025* पारित करते हुए यह भी आदेश किया गया था कि पुनर्विवाह के प्रश्न का निस्तारण निर्णय के स्तर पर भी विचार में लिया जाएगा लेकिन निर्णय के स्तर तक भी विपक्षी की ओर से वादिया स्वाती अगारिया द्वारा पुनर्विवाह कर लेने के संबंध में कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

8- इस प्रकार पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित *19.09.2025* में वादिया के अधिवक्ता द्वारा सम्मीट *(Submits) (*जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है*)* के अतिरिक्त वादिया के पुनर्विवाह कर लेने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में विपक्षी की ओर से दाखिल नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का०सं० *98* बी जिसमें विपक्षी द्वारा वादिया के पुनर्विवाह के संबंध में उल्लेखित किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र पर वादिया स्वाती अगारिया की आपत्ति अंकित की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर स्वाती अगारिया के पुनर्विवाह के संबंध में सुसंगत साक्ष्य न होने के कारण पुनर्विवाह साबित न मानते हुए ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्णय दिनांकित *10. 03. 2026* पारित किया गया है।*"*

3. Thereafter, this Court, vide order dated 21.07.2026, while granting time to learned counsel for opposite party No.2 to file counter affidavit, stayed the effect and operation of the impugned order dated 10.03.2026 to the extent it directed payment of maintenance to opposite party No.2-(wife).

4. Thereafter, the father of opposite party No.2 (remarried wife) has filed a counter affidavit dated 16.08.2026 in this revision, wherein, in paragraph No.13 thereof, it has been specifically averred that opposite party No.2 has claimed maintenance from the date of filing of the application under Section 125 Cr.P.C. till the date of her remarriage. However, no such claim was made by her by filing any application before the Trial Court, and she continued to claim maintenance by representing herself as the wife of the revisionist. Paragraph No.13 of the counter affidavit is delineated below for ready reference:-

> *"13. That the averments made in paragraph nos.17 & 18 the original affidavit is not correct and denied in reply to the same it is submitted that the opposite party no.2 has demanded maintenance from the date she file application u/s 125 cr.p.c. Till her remarriage. From date of application to date of remarriage total Rs.7,38,500/- has been left, only this amount has been claim by the opposite party revisionist. no.2 from revisionist."*

5. The revisionist filed an objection before the Trial Court stating that, after remarriage, opposite party No.2 ceased to be the wife of the revisionist and, therefore, she was not entitled to claim maintenance as a wife. The relevant portion of the objection dated 30.10.2025 is pasted herein below:-

न्यायालय श्रीमान अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाँसी

मु०सं० - 621/ 2021

श्रीमती स्वाती अगरिया बनाम राजेश चतुर्वेदी
एवं एक अन्य

अ० धारा - 125 सी.आर.पी.सी.

थाना - कोतवाली, झाँसी

विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र अं. धारा 125(1) सी.आर.पी.सी. निम्न है।

श्रीमान जी,

सविनम्र निवेदन है कि -

१. यह कि सी.आर.पी.सी. की धारा 125(1) के **स्पष्टीकरण "ख"** के अनुसार - *"पत्नी" के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और **जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है***।

प्रार्थी संख्या १ ने दिनांक 03.09.2025 को पुनर्विवाह कर लिया है। प्रार्थी संख्या १ पुनर्विवाह करने से परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण विपक्षी से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अब विपक्षी प्रार्थी सं. १ को भरण पोषण भत्ता देने के लिए आबद्ध नहीं है क्योंकि प्रार्थी सं. १ स्वाती अगरिया ने दिनांक 03.09.2025 पुनर्विवाह कर लिया है, विवाह करने के बाद कोई पत्नी केवल तब तक भरण-पोषण भता प्राप्त करने का दावा कर सकती है जब तक उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो।

२. यह कि मु०सं० - 583/2021 अं. धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम में इस माननीय न्यायालय द्वारा वादी स्वाती अगरिया एवं प्रतिवादी राजेश चतुर्वेदी का विवाह दिनांकित 18.02.2018 आदेश दिनांकित 30.07.2025 द्वारा विघटित किया गया था।

३. यह कि विपक्षी ने इस माननीय न्यायालय के मुकदमा उपर्युक्त **583/2021 अं. धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम** में **आदेश दिनांकित 30.07.2025 के विरुद्ध** माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील स. FAPL/736/2025 दायर की जिसकी प्रथम सुनवाई 19.09.2025 को हुई थी।

४. यह कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उपर्युक्त सुनवाई दिनांकित 19.09.2025 में अपील स. FAPL/736/2025 की प्रतिउत्तरदाता स्वाती अगरिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय

के समक्ष स्वीकार किया है कि इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान मुकदमा मु०सं० - 621/ 2021 की प्रार्थी संख्या १ व मुकदमा उपर्युक्त मु०सं० - 583/2021 की वादी ने पुनर्विवाह कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील स. FAPL/736/2025 में वर्तमान Case Status सहित **आदेश दिनांकित 19.09.2025** की डिजिटल प्रति **संलग्नक स. 1** है।

६. यह कि मुकदमा उपर्युक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन अपील स. FAPL/736/2025 की प्रतिउत्तरदाता व इस न्यायालय के वर्तमान मुकदमा मु०सं० - 621/ 2021 की प्रार्थी संख्या १ की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन अपील स. FAPL/736/2025 में उसके पिता बृजेश नारायण अगरिया द्वारा **Counter Affidavit दाखिल किया गया,** जिसके समर्थन में **स्वाती अगरिया का शपथ पत्र भी संलग्न है,** जिसमें भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि उसने **03.09.2025 को पुनर्विवाह कर लिया है,** तथा अपना वैवाहिक जीवन निर्वाह कर रही है। अपील स. FAPL/736/2025 के अपीलार्थी राजेश चतुर्वेदी के विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिकेय सरन से प्राप्त उपर्युक्त **Counter Affidavit की छायाप्रति** Correction Application सहित **संलग्नक स. 2** है।

७. यह कि वर्तमान मुकदमा मु०सं० - 621/2021 की प्रार्थी संख्या १ का स्वयं के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र के अंतर्गत किए गए कथन से सिद्ध होता है कि वह पुनर्विवाह करने के पश्चात 03.09.2025 से वैवाहिक जीवन यापन कर रही है। **प्रार्थी सं. १ ने 03.09.2025 को पुनर्विवाह कर लिया है, जो कि उसके द्वारा एक स्वीकृत तथ्य है,** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार **स्वीकृत तथ्य को सिद्ध करने की** आवश्यकता नहीं है।

८. यह कि प्रार्थी सं १ **वर्तमान परिस्थितियों में सी.आर.पी.सी. की धारा 125(1) के स्पष्टीकरण "ख" के अंतर्गत विपक्षी की पत्नी की परिधि में नहीं आती है,** क्योंकि उसने 03.09.2025 को पुनर्विवाह कर लिया है।

6. It is pertinent to note that learned counsel appearing for opposite party No.2 has not been able to disclose the date of her remarriage. Significantly, paragraph No.13 of the counter affidavit filed by the father of opposite party No.2 contains a specific averment that maintenance has been claimed only for the period commencing from the date of filing of the application under Section 125 Cr.P.C. till the date of her remarriage. Thus, from the material available on record, the factum of remarriage of opposite party No.2 cannot be brushed aside. However, the date of her remarriage has neither been disclosed nor established by the opposite party No.2.

7. In the aforesaid circumstances, when the factum of remarriage of opposite party No.2 is borne out from the material available on record, but the date thereof has not been brought on record, the period for which she would remain entitled to maintenance cannot be ascertained. It is also relevant to note that maintenance under the provisions of the Code of Criminal Procedure/Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita is an obligation intended to prevent vagrancy and destitution and is not a loan. Therefore, in view of the subsequent remarriage of opposite party No.2 with another person, she is not entitled to receive maintenance from the revisionist.

8. It is well settled that, under Section 125(1) Explanation (b) Cr.P.C./144 (1) Explanation BNSS, a wife is entitled to claim maintenance from her husband, subject to fulfillment of the conditions prescribed therein. However, upon her remarriage, she ceases to fall within the ambit of the expression “wife” for the purposes of claiming maintenance from her former husband. Consequently, after her remarriage, she cannot claim or continue to receive maintenance from the revisionist (husband). Therefore, the direction contained in the impugned order dated 10.03.2026 awarding maintenance to opposite party No.2 (the remarried wife) cannot be sustained Section 125(1) Explanation (b) Cr.P.C./144 (1) Explanation BNSS and is, accordingly, set aside.

9. In view of the facts and circumstances of the case and the material available on record, the impugned order dated 10.03.2026 passed by the learned Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi, in Case No. 621 of 2021, stands modified to the extent that the revisionist shall not be liable to pay any maintenance to opposite party No.2 (the remarried wife). The direction contained in the impugned order with regard to payment of maintenance to the minor son shall remain unaffected.

10. Accordingly, the present criminal revision stands **partly allowed** in the aforesaid terms.

(Praveen Kumar Giri,J.)

August 18, 2026
SFH/DKS

Digitally signed by :-
DEEPAK KUMAR SRIVASTWA
High Court of Judicature at Allahabad